वन संरक्षण कानून में बदलाव



हाल ही में वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक 2023 पारित किया गया है। यह कानून एक विवादास्पद ट्कड़ा है, जिसमें औद्योगिक विकास और वनों के संरक्षण के बीच संत्लन बनाने की जटिल चुनौतियां शामिल हैं।

अभी तक औद्योगीकरण ने वन भूमि और पारिस्थितिक तंत्र के बड़े हिस्से को हड़पने का प्रयत्न किया है। वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 ऐसा कानून रहा है, जिसने सरकार को औद्योगीकरण को वि<mark>नियमित क</mark>रने का अ<mark>धि</mark>कार दिया है। <mark>1996 के गो</mark>दावर्मन मामले में उच्चतम न्यायालय ने नीलगिरि जिले की वन-भूमि की रक्षा के दायरे <mark>को ट्या</mark>पक करते <mark>हुए एक ऐतिहासिक नि</mark>र्णय भी दिया था। वर्तमान कानून में ऐसे बह्त से बदलाव किए गये हैं, जो वन भूमि के व्यावसायि<mark>क उप</mark>योग क<mark>ो बढ़ावा देंगे।</mark> कुछ बिंद् -

- संशोधित अधिनियम में 1996 के निर्णय की सीमाओं क<mark>ो परिभाषित करते</mark> हए अभिलिखित <mark>वन क्षेत्र के बा</mark>हर की 1509 वर्ग कि.मी. भूमि को निजी कृषि-वानिकी उपयोग की अन्मति देने की बात कही गई है।
- इसके अनुसार 1980 या उसके बाद के सरकारी रिकार्ड में अभिलिखित वन भूमि पर ही अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे।
- 1980-1996 के बीच सरकार ने जिस वन-भूमि को गैर-वानिकी उपयोग के लिए मुक्त कर दिय था, उस पर 1980 कानून के प्रावधान लाग् नहीं होंगे। इससे स्पष्ट है कि अब राज्य सरकारें अपनी मर्जी से गैर वगीकृत वन क्षेत्र को आधिकारिक वन क्षेत्र घोषित नहीं कर सकती।
- संशोधन में भारतीय सीमा के पास के 100 कि.मी. के वन भूमि को केंद्रीय स्वीकृति के बिना भी 'रणनीतिक और स्रक्षा' उद्देश्यों के लिए विनियोजित करने की अन्मति दे दी गई है।

यह संशोधन वास्तव में प्राकृतिक वन को पुनर्जीवित करने में योगदान नहीं देता है, बल्कि व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए वनीकरण को प्रोत्साहित करता है। इन निजी वनों से कार्बन भंडार होने की उम्मीद नहीं रखी जा सकती है।

'द हिंदू' में प्रकाशित संपादकीय पर आधारित। 12 जुलाई, 2023

